न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 115/2010

नारायण पुत्र खींवाराम जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर ﴾राज0﴿

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- भगवानी बेवा रामू ﴾
2- प्रभू पुत्र रामू ﴾
3- भोलू पुत्र रामू ﴾ जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील
4- नन्दा पुत्र रामू ﴾ व जिला सीकर ﴾राज0﴿
5- नानू पुत्र रामू ﴾
6- बदामी पुत्री रामू ﴾
7- छोटी पुत्री रामू ﴾
8- तहसीलदार, सीकर ।

---रेस्पोन्डेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 3-12-2010 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री सुरेश सैनी एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री किशोरकुमार सैनी एडवोकेट- रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय दिनांक- 5.3.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बाबत अदला बदली इन्द्राजात एवं घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 999 रकबा 2.30 हैक्टर एवं खसरा नं0 997 ~~0000~~ एवं 998 रकबा 3.31 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नं0 999 के 430/1 व 997 व 998 के पुराने ख0नं0 430/2 ग्राम राधाकिशनपुरा में स्थित हैं। ख0नं0 999 की खातेदारी वादीगण के नाम ~~व~~ तथा ख0नं0 997 व 998 की खातेदारी प्रतिवादीसं0-1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। ख0नं0 999 पर प्रतिवादी सं0-1 का तथा ख0नं0 997 व 998 पर वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज है ।पूर्व सैटलमेन्ट के समय गलती से ख0नं0 999 के पुराने ख0नं0 430/1 एवं ख0नं0 997 व 998 के पुराने खसरा नं0 430/2 धन्ना पुत्र भेभाराम के नाम दर्ज हो गई जिसने दिनांक 2-2-80 को प्रतिवादी सं0-1 को विक्रय कर दी जिसका ज्ञान धन्ना पुत्र भेभाराम को नहीं था तथा ना ही इसका ज्ञान वादी व प्रतिवादी को था। क्यों वादीगण उस समय नाबालिग बच्चे थे । पूर्व में वादीगण का दादा सूरजा पुत्र सुखदेवा काबिज खातेदार काश्तकार था । वादीगण का पिता रामू अपने पिता सूरजा के पूर्व ही मर गया था । इसलिय सूरजा के जीवनकाल में उक्त भूमि वादीगण के पिता के नाम नहीं हो सकी थी। वादीगण के दादा सूरजा के मरने के बाद उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज हुई थी । किन्तु यह ज्ञान वादीगण को नहीं था कि कौनसी भूमि किस खसरा नम्बर की भूमि रेकार्ड में गलती से दर्ज हुई है एवं कौनसी किस भूमि पर वे काबिज काश्त है । वादी सं0-6 व 7 शादी होकर अपनी ससुराल चली गई जिनको खातेदारी में कोई उज्र नहीं करती ।वादी सं0-6 व 7 को वादी सं0-1 से 5 व प्रतिवादी सं0-1 को खातेदारी संशोधन में कोई उज्र नहीं है । वादीगण की अन्य आराजी ख0नं0 429 जिसके पुराने नम्बर 996 उक्त आराजी के सीवां जोड है जिसके अनुसार खातेदारी दुरूस्त किया जाना उचित व आवश्यक है । यदि उक्त दुरूस्ती नहीं होगी तो पक्षकारों मध्य विवाद बढ जायेगा तथा शान्ति व्यवस्था बिगड जायेगी तथा खातेदारी गलत रहने से गलत इन्द्राज की आड में वादीगण को बेदखल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर दिया जावेगा। अतः दावा स्वीकार कर खातेदारी को दुरूस्त किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर प्रतिवादी सं0-1 का प्रतिदावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । भूमि ख0नं0 997, 998 व 999 की खातेदारी वाद पत्र के कालम संख्या-3 के अनुसार दर्ज है वह गलत है अदालत मातहत ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपना निर्णय दिया है । वादीगण/की ओर से प्रस्तुत वादीगण के स्वयं की साक्ष्य में वादीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलान्ट अपनी क्रय शुदा आराजी ~~ख0 क्र0~~ ख0नं0 430/2 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा पर क्रय करने के बाद से ही काबिज काश्त है किन्तु अदालत मातहत ने वादीगण द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से इन्कार कर मनमर्जी से निर्णय पारित किया है ।प्रदर्श-5 तहसील--दार सीकर की रिपोर्ट का भी मनमर्जी से निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित किया है। अपीलान्ट विवादित आराजी ख0नं0 430/2 रकबा 3.31 हैक्टर पर काबिज काश्त रहा है । रेस्पोडेन्ट ने अपना दावा साबित नहीं किया। इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित कर दावा डिक्री किये जाने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट के खाते कब्जे में कभी भी 3.31 हैक्टर कब्जा काश्त में नही रही है । रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में यह कही दर्ज नहीं किया है कि उसका रकबा कब कम किया है । रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में यह कथन किया कि सैटलमेन्ट के समय उसका खसरा नम्बर बदल गया। किन्तु इस बाबत कोई राजस्व रेकार्ड रेस्पोडेन्ट ने पेश नहीं किया। इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय तथ्यों के विपरित जाकर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील ~~सव्यय~~ स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0- 2055 से 2058 में ख0नं0 999 रकबा 2.30 हैक्टर की खातेदारी भगवानी बेवा रामू, प्रभू, भोलू, नन्दा नानू पि0 रामू, कु0 बीदामी, कु0 छोटी नाबालिगान पुत्रिया रामू कुदरती वली माता भगवानी दर्ज है । प्रदर्श-4 जमाबन्दी सं0-2041 से 2060 में ख0नं0 997, 998 कुल किता-2 रकबा 3.31 हैक्टर की खातेदारी नारायण पुत्र खींवाराम माली के नाम तथा ख0नं0 996, 999 कुल किता-2 रकबा 8.15 हैक्टर की खातेदारी सूरजा पुत्र सुखदेवा के नाम दर्ज हैं ।प्रदर्श-2 नकल नक्शा सन् 1979-80 सम्वत 2036 में ख0नं0 999 दक्षिण में दर्ज उसके उत्तर में ख0नं0 998 व 997 दर्ज हैं । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 430/1 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा के हाल ख0नं0 999 रकबा 2.30 हैक्टर तथा ख0नं0 430/2 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा के हाल ख0नं0 997 रकबा 0.03 हैक्टर एवं ख0नं0 998 रकबा 3.28 हैक्टर बने हैं । प्रदर्श-5 मौका रिपोर्ट दिनांक 20-12-2005 में ख0नं0 999, 998, 997 का मौका देखा गया । जिसमें खसरा नं0 997 व 998 रकबा 3.31 हैक्टर पर भगवानी व उसके पुत्रों का कब्जा बताया गया है । ख0नं0 999 रकबा 2.30 हैक्टर पर नारायण अपीलान्ट का कब्जा बताया गया है ।प्रदर्श-6 नकल नक्शा का अवलोकन किया गया ।प्रदर्श-7 से 20 बिजली विभाग एवं दूरभाष विभाग के बिल है जो रामू के पुत्रों के नाम से दर्ज है । जमाबंदी सं0- 2071 से 2074 में ख0नं0 997 व 998 की खातेदारी रेस्पोन्डेन्ट के नाम तथा ख0नं0 999 की खातेदारी नारायण अपीलान्ट के नाम दर्ज है । प्रदर्श-5 की तहसीलदार सीकर की मौका रिपोर्ट है जिसमें नजरी नक्शे में आबादी, ट्यूबैल चाह रास्ते का इन्द्राज किया है। रिपोर्ट के अनुसार भौतिक रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 997 व 998 पर रेस्पोडेन्ट भगवानी आदि का कब्जा काश्त है तथा ख0नं0 999 पर अपीलान्ट नारायण का कब्जा काश्त दर्ज है। मौका रिपोर्ट नजरी नक्शे

भी किया जा चुका । इतना ही नहीं विक्रय अनुबन्ध पत्र नारायण सैनी द्वारा किया गया जिसमें ख0नं0 997 व 998 रकबा 3.31 हैक्टर का बैचान किया जाना दर्ज किया जिसमें बैचान की गई आराजी की सीमाऐ दर्ज की है जिसमें बैचान की गई भूमि की उत्तर दिशा में रामू सैनी की कृषि भूमि दिखाई है ।जिससे ७ यह स्पष्ट है कि ख0नं0 999 के उत्तर दिशा में ख0नं0 998 व 997 है ।इससे भी यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सीकर की मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोंडेन्ट ख0नं0 997 व 998 पर काबिज है । अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य को ७०० देखते हुये उस पर मनन करने के बाद अपना निर्णय दिया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं पाते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-12-2010 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

5/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर